भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. †1790
दिनांक 29.07.2026 को उत्तर देने के लिए

गढ़चिरौली-चिमूर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में खनन की संभावना

†1790. डॉ. नामदेव किरसानः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विगत पांच वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के गढ़चिरौली-चिमूर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में खनिज संसाधनों और खनन क्षमता का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त निर्वाचन क्षेत्र में प्रदान किए गए खनन पट्टों, नीलाम किए गए खनिज ब्लॉकों और प्रस्तावित खनन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई योजना तैयार की है कि खनन प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय जनजातीय समुदायों को पर्याप्त रोजगार, कौशल विकास, जिला खनिज प्रतिष्ठान (डीएमएफ) का लाभ और पुनर्वास प्राप्त हो और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान गढ़चिरौली जिले में जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) के अंतर्गत जारी की गई निधियों और शुरू किए गए कार्यों का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और
(ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि उक्त निर्वाचन क्षेत्र में खनन कार्यकलाप पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों, वन संरक्षण मानकों और अनुसूचित जनजातियों और ग्राम सभाओं के अधिकारों से संबंधित उपबंधों के अनुसार किए जाएं?

उत्तर

कोयला और खान राज्य मंत्री
(श्री सतीश चंद्र दुबे)

(क): विगत पांच वर्षों के दौरान, केंद्र सरकार की एजेंसियों जैसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) और मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (एमईसीएल); राष्ट्रीय खनिज

खोज और विकास न्यास (एनएमईडीटी) से वित्तपोषण प्राप्त अधिसूचित गवेषण एजेंसियों (एनईए) और राज्य गवेषण एजेंसियों ने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली–चिमूर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में 26 गवेषण परियोजनाएं पूर्ण की हैं। इसका विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

(ख): उक्त अवधि के दौरान, राज्य सरकार द्वारा लौह अयस्क, चूना पत्थर और तांबा से संबंधित 08 समेकित अनुज्ञापत्र (सीएल) ब्लॉक और 01 खनन पट्टा (एमएल) ब्लॉक सहित 09 खनिज ब्लॉकों की नीलामी की गई। सभी 08 सीएल ब्लॉकों में समेकित अनुज्ञापत्र विलेख निष्पादित किए जा चुके हैं।

(ग): महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, स्थानीय जनजातीय समुदायों को रोजगार के अवसर, कौशल विकास, जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) के अंतर्गत लाभ सुनिश्चित करने और खनन-प्रभावित क्षेत्रों में समुचित पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय लागू किए जा रहे हैं—

i. पात्र अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने पर रोजगार में स्थानीय व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है।
ii. खनन पट्टा धारकों द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के माध्यम से कौशल विकास कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं।
iii. डीएमएफ निधियों का उपयोग प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) के अनुसरण में खनन-प्रभावित क्षेत्रों में लोक कल्याण हेतु शिक्षा, पेयजल, स्वास्थ्य सेवा, सड़क, आजीविका और अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं को लागू करने में किया जाता है।
iv. लागू कानूनों और सांविधिक मंजूरियों के अनुसार पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन किया जाता है।

(घ): महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, गढ़चिरौली जिले में जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान जारी की गई निधि और किए गए कार्यों का क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है।

(ङ): खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार, खनन कार्यकलापों की अनुमति पर्यावरण स्वीकृति (ईसी), वन स्वीकृति (एफसी), महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) की सहमति और अनुमोदित खनन योजना सहित केवल अपेक्षित सांविधिक अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात ही दी जाती है।

ईसी एवं एफसी की शर्तों के अनुपालन की निगरानी राज्य खनन विभाग और एमपीसीबी के प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण के माध्यम से की जाती है। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित क्षेत्रों में खनन कार्यकलाप पेसा अधिनियम, 1996 और वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों द्वारा शासित होती हैं। साथ ही, जहां भी लागू सांविधिक प्रावधानों के तहत आवश्यक हो, ग्राम सभा की सहमति/अनुशंसाएं प्राप्त की जाती हैं।

अनुलग्नक-I

'गढ़चिरौली-चिमूर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में खनन की संभावना' के संबंध में दिनांक 29.07.2026 को उत्तर देने के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1790 के उत्तर के भाग (क) में संदर्भित अनुलग्नक

क्र. सं.	गवेषण एजेंसियां	पूर्ण की गई गवेषण परियोजनाओं की संख्या	खनिज पदार्थ
1	जीएसआई	13	तांबा, सीसा और जस्ता (2); तांबा (7); आधार धातु (3); क्रोमियम, निकल, कोबाल्ट और पीजीई (1)
2	एमईसीएल	1	तांबा, स्वर्ण और चांदी (1)
3	एनएमईडीटी के तहत अधिसूचित गवेषण एजेंसियां	8	लौह अयस्क (6), चूना पत्थर (2)
4	राज्य भू-विज्ञान और खनन निदेशालय	4	आरईई और आरएम (3), आधार धातु और स्वर्ण (1)

अनुलग्नक-II

'गढ़चिरौली-चिमूर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में खनन की संभावना' के संबंध में दिनांक 29.07.2026 को उत्तर देने के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1790 के उत्तर के भाग (घ) में संदर्भित अनुलग्नक

क्र. सं.	क्षेत्र	परियोजनाएं	राशि (करोड़ रुपये में)
1	कृषि	23	78.68
2	पशुपालन	3	2.20
3	पेयजल आपूर्ति	133	13.52
4	शिक्षा	342	132.42
5	ऊर्जा और वाटरशेड विकास	3	4.23
6	पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण	97	13.44
7	स्वास्थ्य सेवा	355	56.87
8	सिंचाई	13	10.16
9	भौतिक अवसंरचना	539	184.68
10	स्वच्छता	11	7.41
11	कौशल विकास	29	11.67
12	महिला एवं बाल कल्याण	61	18.78
कुल		1,609	534.06